

छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक : एफ 5-41/2016/18
प्रति

नया रायपुर, दिनांक 30 दिसम्बर, 2017

समस्त आयुक्त,
नगर पालिक निगम
छत्तीसगढ़ ।

विषय :- छ.ग. नगर पालिक निगम, अधिनियम 1956 अंतर्गत नगरीय टोस अपशिष्ट के घर-घर से संग्रहण के लिए उपभोक्ता प्रभार की वसूली बाबत ।

—0—

विषयांतर्गत छ.ग. की नगर पालिक निगमों में टोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु उपभोक्ता प्रभार शुल्क अधिसूचित करने के संबंध में छ.ग. (असाधारण) राजपत्र दिनांक 07 दिसम्बर 2017 में प्रकाशन किया गया है। अधिसूचना की प्रति संलग्न प्रेषित है।

कृपया प्रकाशित अधिसूचना अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।



(एच.आर. दुबे)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
नया रायपुर, दिनांक 30 दिसम्बर, 2017

पृ. क्रमांक : एफ 5-41/2016/18

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, गानीय मंत्रीजी, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्रालय, नया रायपुर।
2. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संचालनालय, नया रायपुर।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, नया रायपुर।
4. मुख्य अभियंता, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, नया रायपुर।
5. समस्त संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास छ.ग.।
6. प्रोग्रामर, डाटा सेन्टर, संचालनालय, न.प्र.वि. को वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. रिकार्ड फाईल, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

“विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी 2-12-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 536]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 7 दिसम्बर 2017 — अग्रहायण 16, शक 1939

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2017

आदेश

क्रमांक एफ 5-41/2016/18. — छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 132-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नगरीय ठोस अपशिष्ट के घर-घर से संग्रहण के लिये उपभोक्ता प्रभार के संबंध में निम्नलिखित सामान्य आदेश जारी करती है, अर्थात् :-

- (1) नगरपालिक निगम, नगर के ऐसे बाडों में, जहां पृथक्कृत अपशिष्ट (कूड़े) का संग्रहण घर-घर से प्रारंभ किया गया हो, सेवा प्रारंभ होने की तारीख से, ऐसी दरों पर, जो कि नीचे दी गई तालिका में वर्णित है, उपभोक्ता प्रभार की वसूली करेगा, अर्थात् :-

तालिका

स. क्र.	उपभोक्ता संवर्ग	उपभोक्ता प्रभार प्रतिमाह, रुपये में	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)
1	आवास		
(क)	क्षेत्रफल 500 वर्गफुट तक	20.00	
(ख)	क्षेत्रफल 501-1000 वर्गफुट के बीच	30.00	
(ग)	क्षेत्रफल 1000 वर्गफुट से अधिक	60.00	
	राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रारंभ होकर, प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् उपभोक्ता प्रभार के प्रत्येक शीर्ष में रु.10.00 की वृद्धि की जायेगी।		
2	रेस्टोरेंट		
(क)	स्थापना जहां ग्राहक हेतु कुर्सियां न हों	250.00	
(ख)	ग्राहक कुर्सियां 25 से कम	300.00	
(ग)	ग्राहक कुर्सियां 26-50 के बीच	400.00	
(घ)	ग्राहक कुर्सियां 50 से अधिक	600.00	
	राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रारंभ होकर, प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् उपभोक्ता प्रभार के प्रत्येक शीर्ष में रु.30.00 की वृद्धि की जायेगी		

(1)	(2)	(3)	(4)		
3	होटल/लॉज/अतिथि गृह				
	संवर्ग	कमरा	प्रति रेस्टोरेंट	प्रति गार्डन	प्रति बैक्केट हॉल
(क)	25 कमरे से कम	50.00	600.00	400.00	500.00
(ख)	25 से 50 कमरे के बीच		1100.00	500.00	1100.00
(ग)	50 कमरे से अधिक		1600.00	800.00	2100.00
टीप- कमरों की संख्या, केवल अतिथि के उपयोग हेतु चिह्नित कमरों के आधार पर गणना की जायेगी, रसोई एवं अन्य उपयोग के कमरे गणना हेतु नहीं लिए जायेंगे। राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रारंभ होकर, प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् प्रत्येक कमरा हेतु उपभोक्ता प्रभार में रु.10.00 तथा समस्त अन्य शीर्ष में रु. 100 की वृद्धि की जायेगी।					
4	धर्मशाला				
(क)	प्रति कमरा	10.00			
(ख)	प्रति हॉल	250.00			
राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रारंभ होकर, प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् प्रति कमरा हेतु उपभोक्ता प्रभार रु.10.00 तथा प्रत्येक हॉल के लिए रु. 50.00 की वृद्धि की जायेगी।					
5	बारात घर/मेरिज हॉल				
(क)	क्षेत्रफल 3000 वर्गमीटर तक	3000.00			
(ख)	क्षेत्रफल 3000 वर्गमीटर से अधिक	4000.00			
टीप- प्रत्येक कार्यक्रम हेतु, अनुगति हेतु विहित शुल्क, अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) या कोई अन्य समारोह प्रभार आदि वर्तमान नियमों के अनुसार पृथक् से देय होगी। राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रारंभ होकर प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् उपभोक्ता प्रभार में रु.500.00 की वृद्धि की जायेगी।					
6	शैक्षणिक संस्थाएं				
(क)	प्राथमिक शाला (शासकीय)	60.00			
(ख)	प्राथमिक शाला (निजी)	250.00			
(ग)	उच्च/उच्चतर माध्यमिक शाला (शासकीय)	80.00			
(घ)	उच्च/उच्चतर माध्यमिक शाला (निजी)	1000.00			
(ङ)	महाविद्यालय (शासकीय)	150.00			
(च)	महाविद्यालय (निजी)	1200.00			
(छ)	विश्वविद्यालय (शासकीय)	200.00			
(ज)	विश्वविद्यालय (निजी)	1600.00			
(झ)	अन्य शैक्षणिक संस्थाएं (शासकीय)	200.00			
(ञ)	अन्य शैक्षणिक संस्थाएं (निजी)	600.00			
राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रारंभ होकर, प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् शासकीय संस्थाओं के लिए उपभोक्ता प्रभार में रु.20.00 तथा निजी संस्थाओं के लिए रु. 50.00 की वृद्धि की जायेगी।					
7	निजी चिकित्सालय/नर्सिंग होम/क्लीनिक (जैव अपशिष्ट प्रबंधन को छोड़कर)				
(क)	क्लीनिक	1000.00			
(ख)	पैथोलॉजी लैब	1000.00			
(ग)	चिकित्सालय/नर्सिंग होम				

(1)	(2)	(3)	(4)
	(एक) 20 बिस्तर से कम	1000.00	
	(दो) 21-50 बिस्तर के बीच	2000.00	
	(तीन) 51-100 बिस्तर के बीच	3000.00	
	(चार) 100 बिस्तर से अधिक	5000.00	
	राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रारंभ होकर, प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् उपभोक्ता प्रभार में रु.500.00 की वृद्धि की जायेगी।		
8	शासकीय चिकित्सालय/नर्सिंग होम/क्लीनिक (जैव अपशिष्ट प्रबंधन को छोड़कर)		
(क)	क्लीनिक	500.00	
(ख)	पैथोलॉजी लैब	500.00	
(ग)	चिकित्सालय/नर्सिंग होम		
	(एक) 20 बिस्तर से कम	500.00	
	(दो) 21- 50 बिस्तर के बीच	1000.00	
	(तीन) 51-100 बिस्तर के बीच	1500.00	
	(चार) 100 बिस्तर से अधिक	2500.00	
	राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रारंभ होकर, प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् उपभोक्ता प्रभार में रु.250.00 की वृद्धि की जायेगी।		
9	वाणिज्यिक स्थापनाएं		
(क)	फुटकर विक्रेता	30.00	
(ख)	क्षेत्रफल 100 वर्गफुट तक	80.00	
(ग)	क्षेत्रफल 101-300 वर्गफुट के बीच	180.00	
(घ)	क्षेत्रफल 301-500 वर्गफुट के बीच	250.00	
(ङ)	क्षेत्रफल 501-1000 वर्गफुट के बीच	350.00	
(च)	क्षेत्रफल 1000 वर्गफुट से अधिक	600.00	
(छ)	शॉपिंग मॉल	रु.0.80 प्रति वर्गफुट प्रतिमाह	
	राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रारंभ होकर, प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् फुटकर विक्रेता के लिए उपभोक्ता प्रभार में रु. 10.00, शीर्ष (ख से च) तक के लिये रु. 50.00 तथा शॉपिंग मॉल/कॉम्प्लेक्स हेतु रु. 00.10 प्रति वर्गफुट की वृद्धि की जायेगी।		
10	सब्जी/फल/फूल /मुर्गा/ मछली /मटन मार्केट -		
(क)	फुटकर विक्रेता	30.00	
(ख)	क्षेत्रफल 100 वर्गफुट तक	150.00	
(ग)	क्षेत्रफल 101-300 वर्गफुट के बीच	450.00	
(घ)	क्षेत्रफल 301-500 वर्गफुट के बीच	450.00	
(ङ)	क्षेत्रफल 500 वर्गफुट से अधिक	1000.00	
	राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रारंभ होकर, प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् फुटकर विक्रेता के लिए उपभोक्ता प्रभार में रु. 10.00 तथा शीर्ष (ख से ङ) तक के लिये रु. 50.00 की वृद्धि की जायेगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)
11	ट्रक/एलसीवी द्वारा सब्जी/फल/फूल का लोडिंग/अनलोडिंग	60.00 प्रति एलसीवी	
		80.00 प्रति ट्रक	
	राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रारंभ होकर, प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात्, उपरोक्त प्रभार में रु. 20.00 की वृद्धि की जायेगी।		
12	शासकीय कार्यालय/संगठन (केंद्र/राज्य/सार्वजनिक उपक्रम)	रु. 0.10 प्रति वर्गफुट प्रतिमाह	
	निजी कार्यालय/संगठन	रु. 0.20 प्रति वर्गफुट प्रतिमाह	
	राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रारंभ होकर, प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात्, उपरोक्त प्रभार में रु. 00.10 प्रति वर्गफुट की वृद्धि की जायेगी।		
13	ब्यूटी पार्लर	300.00	
	राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रारंभ होकर, प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात्, उपरोक्त प्रभार में रु. 50.00 की वृद्धि की जायेगी।		
14	सिनेमा हॉल/थियेटर/मल्टीप्लेक्स	500.00	प्रति स्क्वीन
	टीप- सिनेमा थियेटर के परिसर के अंदर की दुकानों को पृथक वाणिज्यिक स्थापना के रूप में समझा जाएगा एवं स. क्र. 9 में विनिर्दिष्ट प्रभारों के अनुसार पृथक से प्रभारित किया जायेगा। राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रारंभ होकर, प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात्, उपरोक्त प्रभार में रु. 50.00 की वृद्धि की जायेगी।		
15	निजी मनोरंजन (आमोद) पार्क/फन पार्क/बॉटर वर्ल्ड इत्यादि	5000.00	
	राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रारंभ होकर, प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात्, उपरोक्त प्रभार में रु. 1000.00 की वृद्धि की जायेगी।		
16	आश्रम गृह/हॉस्टल	500.00	
	राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रारंभ होकर, प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात्, उपरोक्त प्रभार में रु. 50.00 की वृद्धि की जायेगी।		
17	सर्कस/प्रदर्शनी/मेला/खुले स्थान में सार्वजनिक समारोह	1000.00	प्रति सप्ताह
	राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रारंभ होकर, प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात्, उपरोक्त प्रभार में रु. 100.00 की वृद्धि की जायेगी।		
18	अन्य, जो ऊपर परिभाषित नहीं है	जैसा कि निगम द्वारा निर्धारित किया जाये।	

- (2) उपभोक्ता प्रभार का भुगतान करने वाले व्यक्ति को, भुगतान करने पर यथाशीघ्र, समुचित रसीद जारी किया जायेगा।
- (3) उपभोक्ता प्रभार, यदि भुगतान नहीं किया गया हो, की वसूली अधिनियम के अध्याय बारह के अनुसार नगरपालिक निगम के दावों के बकाया के रूप में वसूल की जायेगी।
- (4) जो कोई भी, अपशिष्ट जमा करने की प्रक्रिया की उपेक्षा करता है, जिसमें नगरपालिक निगम द्वारा यथाविहित स्रोत पर पृथक्कृत अपशिष्ट के संग्रहण में विफलता अथवा अपशिष्ट फैलाने का प्रयास सम्मिलित है, वह अधिनियम के अनुसार अभियोजन हेतु दायी होगा।
- (5) यह आदेश, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-41/2016/18. — छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (फ. 23 सन् 1956) की धारा 432-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नगरपालिक निगम ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) उप-विधियां, 2010 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :-

संशोधन

उक्त उप-विधियों में,—

अनुसूची-दो का लोप किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप सचिव,

नया रायपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2017

क्रमांक एफ 5-41/2016/18. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसारण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-41/2016/18, दिनांक 07-12-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप सचिव,

Naya Raipur, the 7th December 2017

ORDER

No. F 5-41/2016/18 :- In exercise of the powers conferred by Section 132-A of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No.23 of 1956), the State Government hereby, issues the following general order in respect of user charges for door-to-door collection of municipal solid waste, namely :-

- (1) The Municipal Corporation shall levy user charges in such wards of the town where door-to-door collection of segregated waste is started, from such date as the service is started, at a rate as described in the table below, namely :-

TABLE

S. No.	User Category			User Charge in Rupees Per Month	Remarks
(1)	(2)			(3)	(4)
1.	Houses				
(a)	Area upto 500 sq. ft.			20.00	
(b)	Area between 501-1000 sq. ft.			30.00	
(c)	Area over 1000 sq. ft.			60.00	
	Each Head of user charge shall be increased by Rs.10.00 after every third year, starting from the date of its publication in the Official Gazette.				
2.	Restaurant				
(a)	Establishment not having Customer Chairs			250.00	
(b)	Customer Chair below 25			300.00	
(c)	Customer Chair between 26-50			400.00	
(d)	Customer Chair above 50			600.00	
	Each Head of user charge shall be increased by Rs.30.00 after every third year, starting from the date of its publication in the Official Gazette.				
3.	Hotel/Lodge/Guest House				
	Category	Rooms	Per Restaurant	Per Garden	Per Banquet Hall
(a)	Less than 25 Rooms	50.00	600.00	400.00	500.00
(b)	Between 25-50 Rooms		1100.00	500.00	1100.00
(c)	More than 50 Rooms		1600.00	800.00	2100.00
	Note: Number of rooms shall be counted on the basis of Rooms earmarked for Guest Use only, Kitchen and other usage rooms will not be taken for calculation.				
	User charges for per Room shall be increased by Rs.10.00 and all other heads by Rs.100.00 after every third year, starting from the date of its publication in the Official Gazette.				
4.	Hospice (Dharamshala)				
(a)	Per Room			10.00	

(1)	(2)	(3)	(4)
(b)	Per Hall	250.00	
	User charges for per Room shall be increased by Rs.10.00 and per Hall by Rs.50.00 after every third year, starting from the date of its publication in the Official Gazette.		
5	Procession House (Barat Ghar)/ Marriage Hall		
(a)	Area up to 3000 Sq.mt.	3000.00	
(b)	Area above 3000 Sq.mt.	4000.00	
	Note: For every event, prescribed Fees for Permission, NOC or any other clearance charges etc., to be paid separately as per the extant rules.		
	User charge shall be increased by Rs.500.00 after every third year, starting from the date of its publication in the Official Gazette.		
6	Educational institutes		
(a)	Primary School(Government)	60.00	
(b)	Primary School(Private)	250.00	
(c)	High/Higher Secondary School (Government)	80.00	
(d)	High/Higher Secondary School (Private)	1000.00	
(e)	College (Government)	150.00	
(f)	College (Private)	1200.00	
(g)	Universities (Government)	200.00	
(h)	Universities (Private)	1600.00	
(i)	Other educational institutes (Government)	200.00	
(j)	Other educational institutes (Private)	600.00	
	User charges shall be increased by Rs.20.00 for Government Institutions and Rs.50.00 for Private Institutions after every third year, starting from the date of its publication in the Official Gazette.		
7	Private Hospital/Nursing Home/Clinic (Exclusive of Bio Waste Management)		
(a)	Clinic	1000.00	
(b)	Pathology Lab	1000.00	
(c)	Hospital/Nursing Home		
	(i) Below 20 Bed	1000.00	
	(ii) Between 21-50 Bed	2000.00	
	(iii) Between 51-100 Bed	3000.00	
	(iv) Above 100 Bed	5000.00	
	User charges shall be increased by Rs.500.00 after every third year, starting from the date of its publication in the Official Gazette.		

(1)	(2)	(3)	(4)
8	Government Hospital/Nursing Home/Clinic (Exclusive of Bio Waste Management)		
(a)	Clinic	500.00	
(b)	Pathology Lab	500.00	
(c)	Hospital/Nursing Home		
	(i) Below 20 Bed	500.00	
	(ii) Between 21-50 Bed	1000.00	
	(iii) Between 51-100 Bed	1500.00	
	(iv) Above 100 Bed	2500.00	
	User charges shall be increased by Rs.250.00 after every third year, starting from the date of its publication in the Official Gazette.		
9	Commercial Establishment		
(a)	Vendors	30.00	
(b)	Area upto 100 sq. ft.	80.00	
(c)	Area between 101-300 sq. ft.	180.00	
(d)	Area between 301-500 sq. ft.	250.00	
(e)	Area between 501-1000 sq. ft.	350.00	
(f)	Area over 1000 sq. ft.	600.00	
(g)	Shopping Mall	Rs. 0.80 per sq. ft. per month	
	User charges for Vendors shall be increased by Rs.10.00, for heads (b to f) by Rs.50.00 and for Shopping Mall/Complex by Rs.00.10 per sq. ft. after every third year, starting from the date of its publication in the Official Gazette.		
10	Vegetable/Fruit/Flower /Chicken /Fish/ Mutton Market -		
(a)	Vendors	30.00	
(b)	Area upto 100 sq. ft.	150.00	
(c)	Area between 101-300 sq. ft.	450.00	
(d)	Area between 301-500 sq. ft.	450.00	
(e)	Area over 500 sq. ft.	1000.00	
	User charges for Vendors shall be increased by Rs.10.00 and for heads (b to e) by Rs.50.00 after every third year, starting from the date of its publication in the Official Gazette.		

(1)	(2)	(3)	(4)
11	Vegetable/Fruit/Flower/Loading/Unloading by Truck /LCV	60.00 Per LCV 80.00 Per Truck	
	Above charges shall be increased by Rs.20.00, after every third year, starting from the date of its publication in the Official Gazette.		
12	Government Offices /Organization (Central/ State/PSUs)	Rs 0.10 per sq. ft. per month	
	Private Offices/Organization	Rs.0.20 per sq. ft. per month	
	Above charges shall be increased by Rs.00.10 per sq. ft. after every third year, starting from the date of its publication in the Official Gazette.		
13	Beauty Parlor	300.00	
	Above charges shall be increased by Rs.50.00 after every third year, starting from the date of its publication in the Official Gazette.		
14	Cinema Hall/Theatre/Multiplex	500.00	Per Screen
	Note: - Shops inside the premises of Cinema Theatre will be treated as separate commercial establishments and will be charged separately as per charges specified in S.No.9.		
	Above charges shall be increased by Rs.50.00 after every third year, starting from the date of its publication in the Official Gazette.		
15	Private Entertainment (Amusement) Park/Fun Park/Water World etc.	5000.00	
	Above charges shall be increased by Rs.1000.00 after every third year, starting from the date of its publication in the Official Gazette.		
16	Hermitage House/Hostel	500.00	
	Above charges shall be increased by Rs.50.00 after every third year, starting from the date of its publication in the Official Gazette.		
17	Circus/ exhibition/ fairs/ public function in open place	1000.00	Per Week
	Above charges shall be increased by Rs.100.00 after every third year, starting from the date of its publication in the Official Gazette.		
18	Others, which are not defined above	As may be assessed by the Corporation	

- (2) Proper receipts shall be issued to the person making payment of user charges as soon as the payment is made.
- (3) User charges, if unpaid, shall be recovered as arrears of Municipal Corporation claims in terms of Chapter XII of the Act.
- (4) Whoever disregards the procedure for deposit of waste, including failure to segregate waste at source, as prescribed by the Municipal Corporation, or resorts to littering of garbage, shall be liable for prosecution in terms of the Act.
- (5) This order shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. EKKA, Deputy Secretary.

Naya Raipur, the 7th December 2017

NOTIFICATION

No. F 5-41/2016/18 :- In exercise of the powers conferred by Section 432-A of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No.23 of 1956), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Municipal Corporation Solid Waste (Management and Handling) By-Laws, 2010, namely:-

AMENDMENT

In the said bye-laws,-

Schedule-II shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
R. EKKA, Deputy Secretary.